न्यायालय प्रथम अपील अधिकारी एंव जिला कलेक्टर,टोंक

प्रकरण संख्या 115/2025

श्री तसलीम अहमद निवासी उनियारा जिला उपाध्यक्ष ह्युमन राइटस टोंक शहर उनियारा जिला टोंक ——अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार उनियारा ——प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय दिनांक **4.02.2026**

प्रकरण का संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत अपील पेश की है। अपीलार्थी द्वारा लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार उनियारा को आवेदन पत्र दिनांक 12.09.2025 को प्रेषित/प्रस्तुत कर निम्न वर्णित सूचना चाही गईः—

उनियारा रामद्वारा प्रकरण— 2025 सम्बंधी

1 नकल मोका मुआयना रिर्पोट दिनाक—4.8.2025
2 नकल जारी नोटिस समस्त दिनाक 6.8.2025
3 नकल उपरोक्त समस्त नोटिस जवाबात मय दस्तावेज
4 नकल निर्णय जागीर आयुक्त दिनाक 2.11.1962
5 नकल जवाब रामद्वारा समिति मय किराया नामा
6 नकल निर्णय ACJM न्या० बाबत नाला दिनाक— 4.01.1989
7 नकल न. पा. उ., NOC विद्युत कनेक्शन रामद्वारा
8 नकल इकरार नामा भूमि बेचान दिनाक 14.8.2017, अब्दुल अजीन
9 नकल इकरारनामा भूमि बेचान/खरीद दिनाक— 7.9.2022, भूमि विक्रेता रावराजा दलपत सिंह, क्रेता बदरी पुत्र रंगलाल गुर्जर
10 नकल मोका रिर्पोट मय नजरी नक्शा न.पा./ तहसीलदार उनियारा
11 नकल TDR द्वारा असामाजिक तत्वो पर की गई कार्यवाही प्रति
12 नकल कार्यवाही CD सा. थानाधिकारी उनियारा — टोंक
13 नकल जवाब अतिक्रमी नन्हे मोलाना वगै. मय दस्तावेज
14 नकल जवाब सिराजुद्धीन वगै. मय दस्तावेज
15 नकल जवाब रामद्वारा समिति उनियारा मय दस्तावेज
16 नकल प्रार्थना पत्र शिकायती एवं जवाब रावराजा दलपत सिंह

अपीलार्थी को निर्धारित समयावधि में सूचना उपलब्ध नहीं होने पर प्रत्यर्थी के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई है। अपील दर्ज रजिस्टर कर अपील प्रा0पत्र की छायाप्रति लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार उनियारा को पत्र कमांक 2389 दिनांक 08.12.2025, 2469 दिनांक 23.12.2025 व 17 दिनांक 6.01.2026 को प्रेषित कर रिपोर्ट तलब की गई। अपीलार्थी को सुनवाई हेतु तलब किया गया। अपीलान्ट उपस्थित नही हुए। लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार उनियारा ने पत्र कमांक 90 दिनांक 07.01.2026 से जवाब प्रेषित किया है प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना कार्यालय उपखण्ड अधिकारी उनियारा सें सम्बधित है। इस संबंध में प्रार्थी को पत्र

जिला कलेक्टर
टोंक

कमांक 91 दिनांक 7.01.2026 से सूचित किया जा चुका है। अतः अपील में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने से अपील अस्वीकार योग्य है।

फलतः अपील अपीलाण्ट अस्वीकार की जाती है। निर्णय की प्रति लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार उनियारा तथा अपीलार्थी को प्रेषित की जावे।

(कल्पना अग्रवाल)
प्रथम अपील अधिकारी
एंव जिला कलेक्टर टोंक

जिला कलेक्टर
टोंक

जिला कलेक्टर * राजस्थान